न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबडा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना–पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
51/24	212 RTA	उदपुरिया	छबडा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
जाफिर खान	बनाम	राधेश्याम

वकील :– श्री टीकमचन्द ढोडरिया **आदेश पत्रक** वकील:– श्री इनामुल हक

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
09.07.2024	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA विरूद्व अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम उदपुरिया तहसील छबडा में स्थित खसरा नम्बर 76/2 रकबा 0.9105 है0 का प्रार्थी खातेदार कृषक है यह भूमि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है। अप्रार्थीगण बलपूर्वक वादग्रस्त आराजी से प्रार्थी को बेदखल करके कब्जा करना चाहतें है अप्रार्थीगण जबरन बलपूर्वक फसल बुवाई करने लगे प्रार्थी व उसके परिवार वालो ने रोका तथा मना किया तो उनके साथ मारपीट करने लगे। प्रार्थी और उसके परिवार वालों ने बडी मुश्किल से उन्हे भूमि पर कब्जा करने से रोका। अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के न्यायालय में पेश किया है। अप्रार्थीगण भूमि पर जबरन कब्जा नही करे इसलिए अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु निवेदन किया है प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजो से यह जाहिर है कि विवादित आराजी प्रार्थी के खातेदारी की है अप्रार्थीगण जबरन कब्जा करना चाहता है प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है एवं प्रार्थी की भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा कब्जा कर प्रार्थी को बेदखल कर दिया तो अपरिमित क्षति होगी। दोनो पक्षों के मध्य विवाद विद्यमान है प्रकरण की परिस्थियों को देखते हुए कोई अनावश्यक विवाद पैदा न हो न्यायालय अप्रार्थीगण को आगामी पेशी तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम उदपुरिया तहसील छबडा के खसरा नम्बर 76/2 रकबा 0.9105 है0 पर जबरन बलपूर्वक कब्जा नही करे मौके की यथास्थिति आमामी दिनांक 12.08.2024 तक बनाये रखे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड किया जावे अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 12.08.2024 को पेश है। (हस्ताक्षर) **उपखण्ड अधिकारी** **छबड़ा (बारां)**	
12.8.24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थीगण की ओर से श्री हेमन्त पारीक एड. का वकालतनामा पेश हुआ। पूर्व स्थगन यथावत रहेगा। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 17.9.24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
17.9.24	स्थगन यथावत आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य मे व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 21.10.24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) न्यायालय उपखण्ड अधिकारी। छबड़ा (बारां)	

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
21.10.24	पत्रावली पेश हुई वकुलाय फरीकेन उप०। जवाब पेश नहीं हुआ समय चाहते है। पूर्व स्थगन यथावत रहेगा। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 27.11.24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
27.11.24	आज पीठासीन अधिकारी अवकाश ~~के अन्य कार्य में~~ व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 13.1.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)
13.1.25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उप०। जवाब पेश नही हुआ। समय चाहते है। पूर्व स्थगन यथावत रहेगा। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 11.2.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
11-2-25	पत्रावली पेश हुई वकुलाय फरीकेन उप० जवाब पेश नहीं हुआ समय चाहते है पूर्व स्थगन यथावत रहेगा। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 25.3.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
25.3.25	पत्रावली पेश हुई ~~वकु~~ वकील जावी व स्वयं जावी उप० नहीं है वकील जावी व स्वयं जावी को तीन बार आवाज लगवाई गयी बावजूद इन्तजार के न्यायालय मे उप० नहीं है अतः जावी का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील के दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)